कार्यालय जिलाधिकारी कन्नौज।

संख्याः 4286 /सी0आर0ए0–शीतलहरी/कम्बल क्रय/2017–18 दिनांक :19 दिसम्बर, 2017

अल्पकालीन पुनर्निविदा सूचना

अवगत कराना है कि पूर्व में दिनांक 06–12–2017 को कम्बल क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी थीं, जिन्हें दिनांक 12–12–2017 को खोला जाना था, किन्तु अपरिहार्य कारणों से दिनांक 12–12–2017 को उक्त निविदायें नहीं खोली जा सकी, जिन्हें दिनांक 13–12–2017 को निविदादाताओं के अनुपस्थिति में समिति के समक्ष खोला गया, जिस कारण उक्त निविदा प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाने के कारण निरस्त कर दी गयी है और कम्बल क्रय किये जाने पुनः निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–1651/1–10–2017–12 (34)/03 टी0सी0–1 दिनांक 16–11–2017 के द्वारा वर्ष 2017–18 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु कम्बल क्रय करने हेतु रू0 15,00,000.00 की धनराशि आवंटित की गयी है। इसके साथ ही पत्र में निर्देश दिये गये हैं कि उक्त कम्बल उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–8/2016/548/18–2–2016–12 (एस0पी0)/2010 दिनांक 12–08–2016 में दिये गये निर्देशानुसार क्रय करने के निर्देश दिये गये हैं। कम्बलों की आपूर्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है–

1. आपूर्तिकर्ता संस्थायें जिन वस्तुओं का स्वयं अथवा अपनी संस्था के अधीन पंजीकृत इकाईयों व सोसायटियों के माध्यम से उत्पादन करती अथवा कराती हैं, उनकी एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन कराकर आपूर्ति करेंगी। यदि किन्हीं कारणवश उक्त संस्थायें क्रयादेश की सीमा तक उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं अथवा संस्था आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/कम्बल का उत्पादन का उत्पादन नहीं करती है, तो वह ऐसी स्थिति में उक्त वस्तुओं/कम्बलों की आपूर्ति किसी अन्य संस्था अथवा उत्पादक से क्रय कर, कर सकती है, किन्तु इसके लिए उन्हें अनिवार्य रूप से सामग्री क्रय प्रक्रिया का पालन करते हुए टेण्डर के माध्यम से दर सुनिश्चित करनी होगी।
2. उ0प्र0 खादी बोर्ड की प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा क्रयादेश हेतु सीधे आवेदन नहीं किया जायेगा, अपितु उनके द्वारा यूपिका के पैटर्न पर बोर्ड के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी। उ0प्र0 खादी बोर्ड अपने अधीन प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं की कार्यक्षमता के अनुरूप तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के अनुरूप अपेक्षित प्रक्रिया विकसित करेगा।
3. क्रय किये जाने वाले कम्बलों की दर पूर्व में निर्धारित दर रू0 500.00 से अधिक न हो तथा मानक लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
4. आपूर्तित संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा, जिस पर संबंधित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री के लिए नहीं है।

अतः इच्छुक संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि कम्बलों की आपूर्ति हेतु संस्थाओं से दिनांक 22–12–2017 को अपरान्ह 04:00 बजे तक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के कार्यालय कक्ष में रखी पेटिका में निविदायें डाली जायेंगी एवं उसी दिन सांय 05:00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में समिति के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा फार्म किसी भी कार्यशील दिवस में मुख्य राजस्व लेखाकार से प्राप्त की जा सकती हैं। नियम व शर्तों की जानकारी जनपद की वेबसाइट www.knj.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(जगदीश प्रसाद),
जिलाधिकारी,
कन्नौज।

प्रतिलिपि :

1. जिला सूचना अधिकारी, कन्नौज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि 02 प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित समय में बिल की प्रति के साथ निविदा प्रकाशित समाचारपत्र की एक–एक प्रति भी उपलब्ध करायें।
2. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट–कन्नौज को इस निर्देश के साथ कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), कन्नौज को इस निर्देश के साथ कि उक्त को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

19.12.17

(जगदीश प्रसाद),
जिलाधिकारी,
कन्नौज।